खण्ड-४ संख्या-१६

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-१-कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

विषय सूची। पृष्ठ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या २६, २७ १–१२

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या-५१६, १४३४, २०८७, २०८८, २०६० २०६१, ६०६२, २०६३, २०६५। १२–२७

परिशिष्ट–१ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) २८–८६

परिशिष्ट–२ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ६०–२२२

परिशिष्ट–३ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) २२३–३४४

दैनिकु निर्वंध ३४५–

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है।

प्रखण्ड का निर्माण

अ-१८। श्री राम लषण राम 'रमण'—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुंगेर जिला के परवता प्रखण्ड की विसालता को देखते हुये सरकार आधे हिस्से को काटकर भरत खण्ड को प्रखण्ड बनाना चाहती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं पंचाती राज विभाग, प्रखण्डों को विभाजित करके नये प्रखडों के सृजन के सम्बन्ध में बहुत प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। अतएव, सरकार ने निर्णय लिया है कि एक "प्रखण्ड पुनर्गठन आयोग" की स्थापना की जाय जो प्रखण्डों के पुनर्गठन पर विचार करेगी तथा सरकार को अपनी अनुशंसा देगी। अतः आयोग की अनुसंशा प्राप्त होने पर ही राज्य सरकार नया प्रखण्ड खोलने के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकेगी।

लिफ्ट सिचाई की व्यवस्था

उ-६। राम लषण राम 'रमण'—क्या मंत्री, लघु सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किक्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के जयनगर, खजौली, लदनियां एवं बाबूबरही अंचलों में लिफ्ट सिचाई हेतु बनाई गई योजनाएं दो वर्षों के अधूरी पड़ी है, यदि हां, तो सरकार उसे कब तक पूरा कराने का विचार रखते हैं, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—लघु सिचाई विभाग (१) मधुबनी जिला के जयनगर खजौली, लदनियां एवं बाबूबरही में जितनी भी योजनाएं समाहर्त्ता मधुबनी द्वारा स्वीकृति हो गयी है उसमें निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति में है। बाकी योजनाएँ समाहर्त्ता मधुबनी को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी हैं। स्वीकृति प्राप्त होते ही योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में आवश्यक कारवाई की जायगी।

राशन कार्ड की व्यवस्था

ख-१५। श्री राम लषण राम 'रमण'— क्या मंत्री, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह सही है कि देहाती क्षेत्रों में राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते अनियमितताएँ होती हैं;

(२) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार देहाती क्षेत्रों में कब तक राशन कार्ड की व्यवस्था करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री—खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, (१) वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के अधिकांश देहाती क्षेत्रों में राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, इसके स्थान पर पारिवारिक सूची प्रचलित है और इसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाईयों का सामना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी राज्य के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड की व्यवस्था के सम्बन्ध सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(२) उक्त खंड के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

चार सदस्यों का संवाचन की व्यवस्था

सामु-६८। श्री राम रतन राम—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड के कच्छी ग्राम पंचायत का चुनाव अगस्त, १६७८ ई० में सम्पन्न हुआ, किन्तु चार सदस्यों का संवाचन (को-आ पसन) अभी तक नहीं हुआ है जिस कारण ग्राम पंचायत का कार्य ठीक ढंग से नहीं चलता है, यदि हां, तो सरकार गत चार सदस्यों का संवाचन कब तक कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग— (१) कच्छी ग्राम पंचायत का निर्वाचन १० जून १६७८ को सम्पन्न हुआ तथा चार सदस्यों का संवाचन भी दिनांक ३ अप्रील १६८१ को सम्पन्न हो चुका है।

निधि का आवंटन

सामु-६६। श्री नरेश सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास, यह बतलाने की कृपा करेंगे किक्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला परिषद का गठन १४ नवम्बर,१६८० को हुआ था किन्तु अब तक उपायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है एवं निधि का भी आवंटन नहीं किया गया है, तो सरकार उपायुक्त की नियुक्ति एवं आवंटन करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?